केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001

फोन: 23353503 फैक्स: 23753923

याचिका सं.105/टीएल/2022 दिनांक: 3.6.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड, 138, अंसल चैम्बर्स–II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 द्वारा निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव (बीओओएम) आधार (इसके बाद "पारेषण प्रणाली" या "परियोजना" के रूप में उल्लिखित) पर "गडग (2500 मेगावाट), कर्नाटक–भाग–क में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण योजना" की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से अनुसूचित सीओडी
1.	400 केवी (1X125 एमवीएआर) बस रिएक्टर के साथ 400/220 केवी, 2X500 एमवीए गडग पूलिंग स्टेशन की स्थापना 400/220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी – 2 नंबर 400 केवी आईसीटी बे – 2 नंबर 220 केवी आईसीटी बे – 2 नंबर 400 केवी लाइन बे – 2 नंबर 220 केवी लाइन बे – 4 नंबर 125 एमवीएआर, 420 केवी रिएक्टर – 1 नंबर 420 केवी रिएक्टर बे – 1 नंबर 220 केवी बस कप्लर (बीसी) बे – 1 नंबर 220 केवी ट्रांसफर बस कप्लर (टीबीसी) बे – 1 नंबर **भावी प्रावधान:** **400 केवी:** स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ 400 केवी लाइन बे के लिए स्थान: 8 नंबर संबद्ध बे के साथ 400/220 केवी आईसीटी: 4 नंबर **220 केवी:** बस सेक्शनलाइजर बे: 2 नंबर (प्रत्येक मेन बस के लिए एक नंबर बे) बस कप्लर बे: 1 नंबर ट्रांसफर बस कप्लर बे: 1 नंबर भावी 400/220 केवी आईसीटी बे के लिए स्थान: 4 नंबर भावी लाइन बे के लिए स्थान: 8 नंबर	18 मास
2.	गडग पीएस – नरेन्द्र (न्यू) पीएस 400 केवी (क्वाड मूस के समतुल्य उच्च क्षमता) डी/सी लाइन	
3.	गडग पीएस – नरेन्द्र (न्यू) पीएस 400 केवी डी/सी लाइन के लिए नरेन्द्र (न्यू) पर 400 केवी जीआईएस लाइन बे 400 जीआईएस लाइन बे – 2 नंबर	

नोट:

(i) पावरग्रिड, गडग पीएस–नरेन्द्र (न्यू) 400 केवी (क्वाड मूस के समतुल्य उच्च क्षमता) डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए नरेन्द्र (न्यू) 400 केवी सबस्टेशन पर 400 केवी जीआईएस लाइन बे के 2 नंबर हेतु स्थान प्रदान करेगा।

(ii) योजना के कार्यान्वयन की अनुसूची, एसपीवी के अंतरण की तारीख से 18 मास होगी।

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹297.00 मिलियन के निम्नतम समानीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।

3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली को स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु सिफारिश की है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 105/टीएल/2022 में दिनांक 3.6.2022 के आदेश द्वारा ऊपर पैरा 1 में यथा उल्लिखित पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

5. गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित किए गए आवेदन की प्रति वेबसाइट **https://renewpower.in** पर देखी जा सकती है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित की जा सकती है।

6. अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (क) के अनुसरण में एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि यथा पूर्वोक्त, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव के प्रति सुझाव या आपत्ति, यदि कोई हो, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 20.6.2022 तक उपर्युक्त पते पर भेजे जा सकते हैं। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आयोग द्वारा आवेदन पर सम्यक् अनुक्रम में आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति, जो सुझाव या आपत्ति दायर करता है, अपने विवेक से सुनवाई में उपस्थित हो सकता है, जिसके लिए आयोग द्वारा किसी टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)

सचिव